रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2005/पौष 6, 1927
No. 536] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2005/PAUSA 6, 1927

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 748(अ).—सभापति, राज्य सभा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 28 की उप-धारा (2) (i), (ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रुपए की आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के बदले नकद के रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो आहरण तथा संवितरण अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को संदेय होगा।

4. धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के बदले नकद के रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो आहरण तथा संवितरण अधिकारी राज्य सभा सचिवालय को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए पांच रुपए की फीस।

5. धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के

बदले नकद के रूप में या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो आहरण तथा संवितरण अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए; प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रुपए; और

(ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपए।

[फा. सं. आर एस/सीपीआईओ/1/2005]

तपन चटर्जी, संयुक्त सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2005

G.S.R. 748(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) (i), (ii) and (iii) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Chairman, Rajya Sabha hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In the rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;

(b) 'section' means section of the Act; and

(c) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for obtaining information under Sub-section (1) of Sectin 6 shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Drawing and Disbursing Officer, Rajya Sabha Secretariat.

4. For providing the information under Sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Drawing and Disbursing Officer, Rajya Sabha Secretariat at the following rates :—

(a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;

(b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;

(c) actual cost or price of samples or models; and

(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof).

5. For providing the information under Sub-section (5) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Drawing and Disbursing Officer of the Rajya Sabha Secretariat at the following rates :—

(a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and

(b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.

[F. No. RS/CPIO/1/2005]

TAPAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928
No. 515] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 665(अ).–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति एतद्द्वारा राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राज्य सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 में –

(क) नियम 3 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(ग) नियम 5 में, "समुचित पावती" शब्दों के बाद "अथवा मनीआर्डर या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

[फा. सं. आर एस/सी पी आई ओ/1/2006]

तपन चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम सं. सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 27-12-2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 27-12-2005 में प्रकाशित किए गए थे ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ii) and (iii) of Sub-section (2) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Chairman, Rajya Sabha, hereby makes the following rules further to amend the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rajya Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 —

(a) in rule 3, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

(b) in rule 4, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

(c) in rule 5, after the words "proper receipt", the words "or by Money Order or Indian Postal Order" shall be inserted;

[F. No. RS/CPIO/1/2006]

TAPAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 27-12-2005 *vide* number G.S.R. 748(E) dated 27-12-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054